न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52/2012

1. हनीफ
2. सरजीत
3. हरीसिंह
4. हवीव
5. हारून
6. दाउद
7. समैदान पिसरान नूरमौहम्मद
8. ईशाक
9. ईशन
10. रोजेखां
11. अरूरू पिसरान दीनमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. रहीम खाँ पुत्र कंजा जाति मेव निवासी ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी (मृत्तक)
   1/1 मौहम्मदीन
   1/2 अयूब
   1/3 जाकर पिसरान रहीम खां जाति मेव निवासी ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी
2. महमूदा पुत्र झडमल जाति मेव निवासी ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी
3. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री शीशराम वर्मा वकील वादीगण

दिनांक :— 22/08/2023

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 887/0.45 हैक्टर बांके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

कंचननेर तहसील पहाडी में स्थित है उक्त आराजी वादीगण 1 लगायत 6 के पिता नूरमौहम्मद एवं 7 लगायत 11 के पिता दीनमौहम्मद का वाहिस्सा बराबर का रकबा था जिसे अपने जीवन काल में अपने हिस्से के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है। दीनमौहम्मद व नूरमौहम्द फौत हो चुके है उनके स्थान पर आराजी पर उनके वारिसान अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रहे है और आज भी वादीगण का कब्जा व काश्त है वादीगण के पिता व वादीगण ने आराजी मुतदाविया को कभी भी प्रतिवादीगण के पिता व दादा को रहन नहीं रखा किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा कंजा पुत्र भानखां के नाम मुर्तहन का इन्द्राज गलत दर्ज होता चला आ रहा है विधि वजह एवं गलत तरीके से दर्ज हो रहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के बाद दिनांक 06/09/1975 को अध्यादेश जारी किया गया कि जो भोग बंधक थे उन सभी को उक्त आदेश के द्वारा उनमोचित कर दिया किन्तु आराजी मुतदाविया की बाबत उक्त मुर्तहन के इन्द्राज को निरस्त नहीं किया गया है जो अभी तक विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरीत दर्ज होता चला आ रहा है। वर्तमान में कंजा पुत्र भान खां के नाम के मुर्तहन के इन्द्राज को कलमजन घोषित करा पाने के वादीगण अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त वादीगण में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध दिनांक 24/01/2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 समयदान, पी0डब्लू0 2 दाऊद, पी0डब्लू0 3 हारून, पी0डब्लू04 हवीब, पी0डब्लू0 5 हरीसिंह, पी0डब्लू0 6 सरजीत, पी0डब्लू0 7 हन्नी, पी0डब्लू0 8 असरू, पी0डब्लू0 9 ईशन, पी0डब्लू0 10 रोजे खां पी0डब्लू0 11 ईशाक, के शपथ पत्र पेश कर बयान

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

कराये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2018, 2055 से 2058 , 2059 से 2062, नकल नामान्तरण संख्या 947 पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अभिधृतियों का अन्तरण धारा 43 पेज संख्या 149 एवं राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 पेज संख्या 151 का भी अवलोकन किया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 887/0.45 हेक्टर वाके ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा कंजा पुत्र मान खां जाति मेव निवासी कंचननेर तहसील पहाडी के नाम जो मुर्तहन का इन्द्राज दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).